रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2018/पौष 13, 1939
No. 4] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2018/PAUSHA 13, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 5 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, प्रशासनिक अधिकारी और सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी समूह 'ख' (राजपत्रित) गैर-तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में प्रशासनिक अधिकारी और सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, प्रशासनिक अधिकारी और सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी समूह 'ख' (राजपत्रित) गैर- तकनीकी पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे।

2. **लागू होना**: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रशासनिक अधिकारी	3* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- ऐसे कार्यालय अधीक्षक और आशुलिपिक श्रेणी-। जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400/- रु.) में उस स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और प्रशासन, स्थापना और लेखा कार्य के क्षेत्र में 2 सप्ताह का	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :** 1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1** - संबंधित श्रेणी अथवा पद में विहित अर्हता सेवा वाले अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के संबंध में प्रोन्नति हेतु पात्रता सूची तैयार की जाएगी। **टिप्पण 2** – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-6 (35400-112400/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात – (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री ; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से लेखे, प्रशासन, स्थापना कार्य क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण – 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण – 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (44900-142400 रुपए)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य - (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री ; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सैक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय से 2 वर्ष	**आयु** : नहीं शैक्षिक अर्हता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री होना आवश्यक है।	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों स्थितियों में न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

का वृतिक अनुभव। **वांछनीय –** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री ; (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन प्रक्रिया के समय संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थीयों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
(iii) **प्रोन्नति :** ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400/- रु.) में उस स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ;** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :** 1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :** 1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान	भर्ती करनी हो उस समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -6 (35400-112400/- रु.) या समतुल्य के उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। **टिप्पण – 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण – 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	कल्याण विभाग – सदस्य 3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य	

[मिसिल सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन) (पार्ट-III)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

G.S.R. 5 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Administrative Officer and Assistant Library and Information Officer Group 'B' (Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Administrative Officer and Assistant Library and Information Officer in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Administrative Officer and Assistant Library and Information Officer Group 'B' (Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**.– The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.–** No person.-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Administrative Officer	3* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Office Superintendent and Stenographer Grade I in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the level and successfully completed training of	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Joint Secretary - Chairman; (Mechanisation	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

two weeks in the field of administration, establishment and accounts. **Note 1:** Eligibility list for Upper Division Clerk and Senior Hindi Typist for promotion shall be prepared with respect to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective level or post. **Note 2** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administration: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years, service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experiences, namely:- (i) Degree of a recognised University or Institute; (ii) Two years experience in accounts, administration, establishment work in Central Government or State Government or Union territory Administration. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall be not eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2** : Period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2. Assistant Library and Information Officer.	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelors degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute; (ii) Two years professional experience in a library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational institution. **Desirable:** (i) Masters degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute; (ii) Diploma in Computer application from a recognised University or institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Unpin Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualifications	**Age** : No Educational qualification: But must possess Bachelor's degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.

regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Library and Information Assistant in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the level and successfully completed training of two to four weeks in the field of Library and Information Science. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations: (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b)possessing the educational qualifications and experience for direct recruits as mentioned in column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly,	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Chairman; (2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Chairman; (2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture, - Member;	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

deputationist shall be not eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Cooperation and Farmers Welfare (3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.	

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) – Pt .III]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.01.09 22:31:45 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.